रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2008/फाल्गुन 6, 1929
No. 82] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2008/PHALGUNA 6, 1929

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 104(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (2) के, खंड (viii) में उप-खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, वाइन, अल्कोहल, लिकर या अन्य मादक पदार्थ ।" ।

[फा. सं. 3105/14/2008-बीसी-III]

ज़ोहरा चैटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996, सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11 मई, 2006, सा.का.नि. 452(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 459(अ), तारीख 3 अगस्त, 2006 तथा सा.का.नि. 469(अ), तारीख 9 अगस्त, 2006 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2008

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in rule 7, in sub-rule (2), in clause (viii), for sub-clause (A), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(A) cigarettes, tobacco products, wine, alcohol, liquor or other intoxicants.".

[F. No. 3105/14/2008-BC-III]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 29th September, 1994 and subsequently amended *vide* G.S.R. 459(E), dated 8th October, 1996, G.S.R. 710(E), dated 8th September, 2000, G.S.R. 282(E), dated 11th May, 2006, G.S.R. 452(E), dated 31st July, 2006, G.S.R. 459(E), dated 3rd August, 2006 and G.S.R. 469(E), dated 9th August, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.